ए. ताजुद्दीन

बनाम

भारत संघ (सिविल अपील संख्या 5773/2009)

10 अक्टूबर, 2014

[जगदीश सिंह खेहर और सी. नागप्पन, जे.जे.]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973:

धाराएँ 9(1)(ख) और 50 - धारा 9(1)(ख) के प्रावधान के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई - प्राधिकारी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दिए गए कथित बयान पर भरोसा कर रहे हैं - अभिनिर्धारित: आक्षेपित ज्ञापन में उक्त कथन पर कोई भरोसा नहीं किया गया था - इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, आक्षेपित ज्ञापन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते समय, प्राधिकारियों के लिए उक्त बयान पर भरोसा करना खुला नहीं था - इसके अलावा, चूंकि अपीलकर्ता ने इस तरह के किसी भी बयान को निष्पादित करने से इनकार कर दिया था, प्रवर्तन निदेशालय के लिए ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह स्थापित करना जरूरी था कि अपीलकर्ता ने ऐसा बयान दिया था, और ऐसा करने में विफल रहने पर, उनके लिए आक्षेपित ज्ञापन में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए कथित बयान पर भरोसा करना सही नहीं था।

धारा 9(1)(ख) और 50 - धारा 9(1)(ख) के प्रावधान के उल्लंघन के लिए अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई - अपीलार्थी और उसकी पत्नी के बयान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अभिलिखित -अभिनिर्धारित: उक्त बयानों को साक्ष्य के पुष्ट टुकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए - किसी भी स्वतंत्र पुष्ट

साक्ष्य के अभाव में, अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के उक्त बयान छापे के दौरान दर्ज किए गए थे और जब अपीलकर्ता हिरासत में था, जिसे रिहा होने के तुरंत बाद वापस ले लिया गया था, तो यह अपीलार्थी की दोषसिद्धि निर्धारित करने के लिए आधार अनन्य नहीं हो सकता था - आक्षेपित ज्ञापन को आगे बढ़ाने में अपीलकर्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूरी कार्रवाई को खारिज कर दिया गया है- साक्ष्य

साक्ष्य:

धन की वसूली के संबंध में 'मजार' का निष्पादन- अभिनिर्धारित: केवल इसलिए कि "महाज़र" को दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा सत्यापित किया गया था, इससे इसकी विश्वसनीयता नहीं बढ़ जाएगी - ऐसी विश्वसनीयता "महाज़ार" से तभी जुड़ेगी जब उक्त दो स्वतंत्र गवाहों को गवाह के रूप में पेश किया जाएगा, और अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। - मौजूदा मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई - इसके अलावा, उक्त 'महाजर' 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है। - इस प्रकार, अपीलकर्ता के अपराध के निर्धारण के लिए 'महाज़ार' का निष्पादन अप्रासंगिक है।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया

: 1.1. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन में अपीलकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष 20.4.1989 को दिए गए कथित बयान पर कोई भरोसा नहीं किया गया है। इसलिए, दिनांक 12.3.1990 के उक्त ज्ञापन को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के लिए उक्त बयान पर भरोसा करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन पर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर (अनुलग्नक पी-9) से यह स्पष्ट है कि उन्होंने 20.4.1989 को किसी भी बयान को निष्पादित करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय के लिए ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह

स्थापित करना जरूरी था कि अपीलकर्ता ने वास्तव में 20.4.1989 को ऐसा बयान दिया था। इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि दिनांक 20.4.1989 के बयान के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। [पैरा 9] [878-एच; 879-ए-सी]

1.2. इसलिए, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 20.4.1989 के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, ठोस साक्ष्य के अभाव में, कि अपीलकर्ता ने दिनांक 20.4.1989 को बयान दिया था, प्रवर्तन निदेशालय के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ दिनांकित ज्ञापन में लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए उस पर भरोसा करना संभव नहीं था। 12.3.1990. इस न्यायालय के समक्ष भी, अपीलकर्ता द्वारा 20.4.1989 को दिया गया कथित बयान प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जो प्रवर्तन निदेशालय की एक काल्पनिक रचना प्रतीत होती है। [पैरा 9-10] [880-A-C; 881-E]

1.3. अपीलकर्ता की निर्दोषता या अपराध का निर्धारण अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा (25.10.1989 और 26.10.1989 को) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए बयानों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसलिए, मौजूदा मामले के लिए, उक्त बयानों को साक्ष्य के पुष्ट टुकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उक्त सभी बयान या तो छापे के समय दिए गए थे, जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के आवास पर किया गया था, या जब अपीलकर्ता प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में था। 27.10.1989 को अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद, उसी दिन, अपीलकर्ता और उसकी पत्नी दोनों ने निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली को उपरोक्त बयानों से

इनकार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें दर्ज किया गया था। जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव, और उन पर बाध्यकारी नहीं होगा। अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बयानों की स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि नहीं हुई। इस न्यायालय का मानना है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी पुष्टिकारक प्रकृति के स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने में गंभीर रूप से लापरवाह थे। इसलिए, अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा दिनांक 25.10.1989 और 26.10.1989 को दिए गए वापस लिए गए बयान अपीलकर्ता के दोष को निर्धारित करने के लिए विशेष आधार नहीं बन सकते। [पैरा 15 और 18] [887-ई-एच; 890-ए-बी]

के.टी.एम.एस. मोहम्मद बनाम भारत संघ, 1992 (2) एससीआर 879 = (1992) 3 एससीसी 178; विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ 2008(17) एसएचआर 1070 = (2008) 16 एससीसी 537-उद्धृत।

1.4. केवल इसलिए कि "महाज़र" को दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा प्रमाणित किया गया था, इससे इसकी विश्वसनीयता नहीं बढ़ जाएगी। ऐसी विश्वसनीयता "महाज़ार" से तभी जुड़ेगी जब उक्त दो स्वतंत्र गवाहों को गवाह के रूप में पेश किया जाएगा, और अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर दिया गया। मौजूदा मामले में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके अलावा, भले ही "महाज़र" को वैध और वास्तविक के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह स्थापित करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है कि अपीलकर्ता के निवास से बरामद राशि सिंगापुर के एक निवासी द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भेजी गई थी जो अधिकृत डीलर नहीं है। विदेशी मुद्रा। यहां तक कि, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में, अपीलकर्ता ने अपने निवास से धन की बरामदगी को स्वीकार किया था, लेकिन यह स्वीकारोक्ति 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) का उल्लंघन स्थापित नहीं करेगी। इस प्रकार, 25.10.1989 को "महाज़ार" का

निष्पादन अपीलकर्ता के अपराध के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है। [पैरा 19] [890-डी-एच; 891-ए-बी]

1.5. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूरी कार्रवाई को भी खारिज कर दिया गया है। [पैरा 21] [891-ई-एफ]

<u>न्याय निर्णयन संदर्भः</u>

1992 (2) एससीआर 879	उद्धृत किया गया	पैरा 13
2008 (17) एससीआर 1070	उद्धृत किया गया	पैरा 13

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5773/2009

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सीएमए संख्या 1282/1994 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक में 28.09.2006 से उत्पन्न।

आर. नेदुमारन, अपीलार्थी की ओर से।

के. राधाकृष्णन अरिजीत प्रसाद, किरण भारद्वाज (बी.वी. बलराम दास), प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **न्यायाधिपति जगदीश सिंह खेहर के** द्वारा दिया गया-

1. ज्ञापन दिनांक 12.3.1990 के माध्यम से यह आरोप लगाया गया था कि यहाँ अपीलार्थी - ए.ताजुद्दीन ने भारतीय रिज़र्व बैंक से बिना किसी सामान्य या विशेष छूट के, सिंगापुर निवासी एक व्यक्ति अब्दुल हमीद के कहने पर, दो किश्तों में 8,24,900/- रुपये की राशि प्राप्त की थी। कथित तौर पर पहली किस्त 23.10.1989 को प्राप्त हुई थी जिसमें 4,00,000/- रुपये शामिल थे। शेष राशि कथित तौर पर

25.10.1989 को दूसरी किस्त में प्राप्त हुई थी। ज्ञापन के अनुसार उपरोक्त रकम एक स्थानीय व्यक्ति से प्राप्त की गई थी, जो विदेशी मुद्रा का अधिकृत व्यापारी नहीं था।

2. यहां ऊपर वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (इसके बाद, 1973 अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9(1)(बी) का उल्लंघन किया है। उपरोक्त धारा 9(1)(बी) को यहां नीचे दिया जा रहा है:-

> "9. भुगतान पर प्रतिबंध - (1) जैसा कि प्रदान किया जा सकता है, को छोड़कर और इस उप-धारा के प्रावधानों से किसी भी सामान्य या विशेष छूट के अनुसार, जो रिजर्व बैंक द्वारा सशर्त या बिना शर्त प्रदान की जा सकती है, भारत में कोई भी व्यक्ति या निवासी -
>
> (ए) xxx xxx xxx
>
> (बी) किसी अधिकृत डीलर के माध्यम से अन्यथा, ऑर्डर द्वारा या भारत के बाहर निवासी किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भी भुगतान प्राप्त करें;
>
> स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां भारत में रहने वाला या रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति (अधिकृत डीलर सहित) के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से संबंधित आवक प्रेषण के बिना आदेश द्वारा या भारत के बाहर निवासी किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई भुगतान प्राप्त करता है। भारत के बाहर स्थान, तो, ऐसे व्यक्ति को अधिकृत डीलर के अलावा किसी अन्य माध्यम से ऐसा भुगतान प्राप्त हुआ माना जाएगा।"

उपरोक्त वैधानिक प्रावधान और यहां ऊपर देखी गई तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने 1973 अधिनियम की धारा 50 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की।

3. विवाद के गुण-दोष पर निर्णय देने से पहले, दिनांक 12.3.1990 के उपरोक्त ज्ञापन को जारी करने की तथ्यात्मक स्थिति बताना आवश्यक है। दलीलों से जो तथ्य सामने आते हैं, और 28.9.2006 को मद्रास उच्च न्यायालय (इसके बाद उच्च न्यायालय के रूप में संदर्भित) द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय को पारित करने के लिए अग्रणी विभिन्न आदेशों को कालानुक्रमिक रूप से यहां वर्णित किया जा रहा है। -

(i) अपीलकर्ता - ए.ताजुदीन पर आरोप है कि उसने 20.4.1989 को प्रवर्तन निदेशालय को एक बयान दिया था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि उसे अब्दुल हमीद से 1,40,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। उपरोक्त राशि में से, उन्होंने अपने दुकान के लड़के - शाहिब के माध्यम से ग्राम पुधुमादम के शाहुल हमीद (अब्दुल हमीद के रिश्तेदार) को 60,000/- रुपये का भुगतान किया। कीलाकराई में अब्दुल हमीद के कुछ दोस्तों को 20,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया, और शेष राशि अपीलकर्ता ने स्वयं रख ली। 20.4.1989 को दिए गए बयान में, अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर यह स्वीकार किया गया था कि अब्दुल हमीद सिंगापुर का निवासी था, और मार्केट स्ट्रीट, सिंगापुर में एक दुकान चला रहा था।

(ii) 25.10.1989 को, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अपीलकर्ता के आवासीय परिसर, अर्थात् 6, डॉ. मुनियप्पा रोड, किलपौक, मद्रास पर छापा मारा। दोपहर एक बजे शुरू हुई छापेमारी के समय उनकी पत्नी टी.साहिरा बानो आवास पर थीं। अपीलकर्ता - ए.ताजुद्दीन भी दोपहर 1.30 बजे अपने आवास पर पहुंचे, जबकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी भी छापेमारी कर रहे थे। छापेमारी के दौरान,

अपीलकर्ता के आवास के एक शयनकक्ष से गद्दे के नीचे से भारतीय मुद्रा में 8,24,900/- रुपये की राशि बरामद की गई।

(iii) 25.10.1989 को एक महाज़र तैयार किया गया था, जिसमें छापे से बरामद मुद्रा का विवरण दर्शाया गया था। उक्त महाज़र दो स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् आर.एम.सुब्रमण्यन और हयाद बाशा की उपस्थिति में तैयार किया गया था। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों ने भी महाज़र पर अपने हस्ताक्षर किये।

(iv) छापे के समय ही, अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन का बयान (25.10.1989 को) दर्ज किया गया था । अपीलकर्ता के पूर्वोक्त बयान का प्रासंगिक उद्धरण यहां नीचे दिया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता ने अब कथित तौर पर अब्दुल हमीद का पता नंबर 24, सारंगून रोड, सिंगापुर बताया है।

> "आज आपके अधिकारियों ने मेरे उपरोक्त घर की तलाशी ली और महाज़ार में निर्धारित 8,24,900/- रुपये की राशि जब्त कर ली। मैं मद्रास में एक आभूषण की दुकान स्थापित करना चाहता था। मैंने 19.10.1989 को नंबर 12, रंगनाथन रोड, नुंगमबक्कम, मद्रास-34 में "मैसर्स बानू ज्वैलर्स" के नाम और शैली में एक आभूषण की दुकान शुरू की। यह एक साझेदारी व्यवसाय है जिसमें मेरी पत्नी टी. साहिरा बानो भागीदार हैं। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी के सोने के गहने बेच दिए और अपने दोस्तों से कर्ज भी लिया। उक्त व्यवसाय मेरी पत्नी के नाम पर 2,20,000/- रुपये की पूंजी से शुरू किया गया था। दूसरे साझेदार श्री एस. मुथुस्वामी, नंबर 20, इंदिरा नगर, अडयार (मुझे उनका पता याद नहीं है) ने पूंजी में 30,000/- रुपये का योगदान दिया है।

उक्त दुकान के विस्तार हेतु एवं व्यवसाय में सुधार हेतु मुझे लगभग 9,00,000/- रूपये की आवश्यकता थी। मेरे रिश्तेदार सिंगापुर और मलेशिया में काम कर रहे हैं। मेरे मूल स्थान का एक अब्दुल हमीद पिछले 15 वर्षों से नंबर 24, सारंगून रोड, सिंगापुर में व्यवसाय कर रहा है। वह कपड़े, वीसीआर आदि का कारोबार करता है। वह उस समय लगभग 2 महीने पहले मद्रास आया था। वह मुझसे मेरे आवास पर मिले। मैंने उससे कहा कि एक ज्वैलरी व्यवसाय शुरू करना है और मुझे उक्त व्यवसाय के लिए और कुछ छोटे ऋण चुकाने के लिए लगभग 9,00,000/- रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा उनसे अनुरोध किया कि वह मेरी भारत यात्रा के दौरान दो या तीन साल में थोड़े से ब्याज के साथ उसे चुकाने का आश्वासन देते हुए उक्त धनराशि प्रदान करके मेरी मदद करें।

उन्होंने मुझसे फोन पर संपर्क करने का आश्वासन दिया, घर का टेलीफोन नं. 666611 सिंगापुर पहुंचने पर। उक्त अब्दुल हमीद ने लगभग 2 महीने पहले मुझे सिंगापुर से फोन किया बताया कि जैसा कि मैंने उससे अनुरोध किया था, उसने 9,00,000/- रुपये की राशि भेजने की व्यवस्था की है और वह मुझे इसके भेजने के तरीके के बारे में सूचित करेगा। इसके बाद इस महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान उक्त अब्दुल हमीद ने मुझसे फोन पर संपर्क किया। उस समय उसने मुझसे कहा था कि वह 8,25,000/-रुपये दो किस्तों में 4,00.000/- रुपये और 4.25.000/- रुपये भेजेगा और और यह कि उक्त धनराशि इस माह के तीसरे या चौथे सप्ताह में किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से मेरे घर पर पहुंचा दी जायेगी। इसके अनुसरण में 23.10.1989 को रात लगभग 9.00 बजे एक अज्ञात व्यक्ति मेरे घर

आया और मेरे बारे में पूछताछ की और मुझे 4.00.000/- रुपये दिए और कहा कि वह सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देश पर सामान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार एक अन्य अज्ञात व्यक्ति 24.10.1989 को सुबह 8.00 बजे मेरे घर आया और कथित सिंगापुर अब्दुल हमीद के निर्देश पर होने का दावा करते हुए मुझे 4.25.000/- रुपये दिये। अब्दुल हमीद के निर्देश पर प्राप्त उक्त रूपये 4,00,000/- एवं रूपये 4,25,000/- कुल रूपये 8,25,000/- को मैं अपने घर में रख रहा था।

घर की तलाशी लेने वाले प्रवर्तन अधिकारी ने 8,24,900/- रुपये की राशि जब्त कर ली, जो मुझे उपरोक्त तरीके से मिली थी। सिंगापुर में रहने वाले उक्त अब्दुल हमीद मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। वह अपने परिवार के साथ सिंगापुर में रह रहे हैं। वह मेरे मूल निवासी के पास आता था। साल में एक बार पुधुमादम गांव अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। उनकी उम्र 45 वर्ष है और कद लगभग 5 1/2 फीट, रंग गोरा और कद मध्यम है।

उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर 4,00,000/- रुपये की राशि पहुंचाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम और पता नहीं बताया। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसका कद मध्यम और शरीर मध्यम था। वह पैंट-शर्ट पहने हुए था. वह मुझे 4,00,000/- रुपये की राशि देकर कुछ ही मिनटों में चला गया और इसलिए मैं अन्य पहचान योग्य चिह्नों पर ध्यान नहीं दे सका। इसी प्रकार, दूसरा व्यक्ति जो 24.10.1989 को आया और उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर 4,25,000/- रुपये की राशि पहुंचाई, उसने भी अपना नाम और पता नहीं बताया। उसकी उम्र करीब 40 साल होगी. वह मध्यम कद काठी

का भी है और मध्यम कद का भी। चूंकि वे दोनों उक्त रकम पहुंचाने के कुछ ही मिनटों के भीतर मेरे घर से चले गए, इसलिए मैं उनके पहचाने जाने योग्य निशानों पर ध्यान नहीं दे सका। मैं रेडीमेड कपड़ों के निर्यात की व्यवस्था कर रहा था। इसके संबंध में, मुझे अपने ग्राहकों से मिलने के लिए अपने घर से अलग जगह की आवश्यकता थी। इसके लिए मैंने गणपत होटल, नुंगमबक्कम हाई रोड में कमरा नंबर 402, उसके मालिक एम.आर.प्रभाकरन से लगभग 4-5 महीने पहले किराए पर लिया है। मैं उक्त दुकान में टेलीफोन नंबर 477409 का उपयोग कर रहा हूं, उक्त कमरे में ए/सी मशीन और फ्रिज उपलब्ध है। चूंकि एक्सपोर्ट बिजनेस मेरे अनुकूल नहीं था इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। उक्त कमरा मेरे कब्जे में है।"

(जोर हमारा है)

(v) 25.10.1989 को की गई छापेमारी के दौरान, अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। 26.10.1989 को मुख्य प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उनका बयान फिर से दर्ज किया गया, जब वह हिरासत में थे। उनके उपरोक्त कथन का प्रासंगिक अंश यहां नीचे दिया जा रहा है:-

"मैंने पहले भी आपके सामने 25.10.1989 को बयान दिया था। उसमें मैंने खुलासा किया है कि 25.10.1989 को मेरे घर की तलाशी लेकर आपके अधिकारियों ने 8.24.900/- रुपये की राशि जब्त की है, जो मैंने सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देश पर 23.10.1989 और 25.10.1989 को अज्ञात व्यक्तियों से प्राप्त की थी। यह सच है। 25.10.1989 को उक्त अधिकारियों ने आभूषण की दुकान "बानू ज्वैलर्स" की तलाशी ली, जिसमें मेरी पत्नी भागीदार है। उस वक्त मैं

भी वहीं था। उक्त तलाशी में कोई दस्तावेज जब्त नहीं किये गये. दूसरे साझेदार श्री मुथुसामी, जो जब्त की गई 8,24,900/- रुपये की राशि की देखभाल कर रहे हैं, उक्त व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उक्त व्यवसाय और जब्त की गई रकम के बीच कोई संबंध नहीं है।

आज आपके अधिकारियों ने मेरे कमरे नंबर 402, गणपत होटल, नुंगपक्कम हाई रोड, मद्रास-34 की तलाशी ली, जिसे मैंने किराए पर ले रखा है। मैं खोज के दौरान वहां था. चूँकि मैंने चाबी खो दी थी इसलिए इसे एक ताला मरम्मत करने वाले ने खोला था। उक्त तलाशी के क्रम में ए.एल.टेक्सटाइल्स मिल्स से दिनांक 15.4.1989 का एक कोटेशन जब्त किया गया।

इससे पहले पिछले अप्रैल में मैं अधिकारियों के सामने पेश हुआ था और बयान दिया था. आज मुझे वह बयान दिखाया गया जो मैंने 20.4.1989 को अधिकारियों के सामने दिया था। मैंने सिंगापुर के उक्त अब्दुल हमीद के निर्देश पर अपने दुकान के लड़के शाहिब के माध्यम से 1,40,000/- रुपये की प्राप्ति के बारे में बताया है और उसी में से, मैंने निर्देश पर 60,000/- रुपये का वितरण भी किया है। उक्त अब्दुल हमीद ने पुधुमादम में शाहुल हमीद को और मेरे दुकान प्रबंधक, हसन के माध्यम से कीलाकराई में एक दोस्त को 20,000/- रुपये का भुगतान किया। दिनांक 20.4.1989 के बयान में उल्लिखित शाहुल हमीद और दिनांक 25.10.1989 के बयान में खुलासा किए गए अब्दुल हमीद एक ही व्यक्ति हैं। दिनांक 24.10.1989 के उक्त बयान में मैंने कहा है कि अब्दुल हमीद सिंगापुर में मार्केट स्ट्रीट में एक

फैंसी स्टोर चला रहा है। दिनांक 25.10.1989 के बयान में। मैंने कहा है कि अब्दुल हमीद सिंगापुर के सारंगून रोड पर एक दुकान चलाता है। कुछ महीने पहले, उन्होंने अपना व्यवसाय मार्केट स्ट्रीट से सारंगून रोड पर स्थानांतरित कर दिया है। दिनांक 20.4.1989 के बयान में, मैंने कहा है कि मैं पेरियाकादाई वीथी, रामनाथपुरम में एक कपड़ा दुकान "सीमाती सिल्क्स" चला रहा हूं। दिनांक 25.10.1989 के बयान में मैंने कहा है कि मैं सलाई स्ट्रीट पर "सीमाती सिल्क्स" का मालिक हूं। पेरियाकादाई वीथि को सलाई स्ट्रीट कहा जाता है। इस कथन में मैंने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है।"

(जोर हमारा है)

(vi) जब अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में था, उसकी पत्नी टी. साहिरा बानो का बयान भी 26.10.1989 को दर्ज किया गया था। इसे कथित तौर पर भतीजे एम.जे. जाफ़र सादिक ने लिखा था और फिर टी. साहिरा बानो ने हस्ताक्षर किए थे। उपरोक्त बयान में, ए. ताजुद्दीन की पत्नी टी. साहिरा बानो ने अपीलकर्ता के निवास स्थान यानी, नंबर 6, डॉ. मुनियप्पा रोड, किल्पौक, मद्रास से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 8,24,900/- रुपये की वसूली की बात स्वीकार की।

(vii) 27.10.1989 को, ए. ताजुद्दीन और टी. साहिरा बानो ने अपने पहले के बयान को वापस ले लिया, यह आरोप लगाते हुए कि यह उनकी इच्छा के विरुद्ध और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की धमकी और मजबूरी के तहत दर्ज किया गया था।

4. दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में, अपीलकर्ता ने एक उत्तर दायर किया (जो वर्तमान मामले के रिकॉर्ड पर अनुबंध पी-9 के रूप में उपलब्ध है)। अपने जवाब में उन्होंने 20.4.1989 को कोई भी बयान देने से इनकार किया। उन्होंने जोर

देकर कहा, कि दिनांक 20.4.1989 के उपरोक्त बयान की एक प्रति उन्हें कभी नहीं दी गई थी, न ही दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन पर भरोसा किया गया था। उन्होंने दिनांक 25.10.1989 और 26.10.1989 के बयानों की तथ्यात्मक सामग्री से भी इनकार किया। उन्होंने अब्दुल हमीद से कभी मुलाकात होने से इनकार किया. उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उनके पास उक्त अब्दुल हमीद से कोई ऋण मांगने का कोई अवसर था। उन्होंने उक्त अब्दुल हमीद के साथ किसी भी तरह की जान-पहचान से इनकार किया। जहां तक 25.10.1989 और 26.10.1989 को दर्ज किए गए बयानों का सवाल है, उनके जवाब में उनका विशिष्ट दावा यह था कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के आदेश पर उपरोक्त बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त बयान धमकी, दबाव और अनुचित प्रभाव के तहत दिए गए थे। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हिरासत से रिहा होने के दिन ही, यानी 27.10.1989 को, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनके द्वारा 25.10.1989 और 26.10.1989 को दिए गए बयानों में बताई गई तथ्यात्मक स्थिति को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी तरह की कार्रवाई उनकी पत्नी टी.साहिरा बानो ने भी अपनाई थी, हालांकि, उन्होंने भी 27.10.1989 को एक अलग संचार के माध्यम से 26.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान को खारिज कर दिया था। जहां तक उनके आवास से बरामद मुद्रा का सवाल है, तो उनका स्पष्टीकरण यह था कि सीमाती सिल्क्स के व्यापार नाम के तहत उनका एक स्थापित व्यवसाय था, जिसका वार्षिक कारोबार 25 से 30 लाख रुपये था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पत्नी टी. साहिरा बानो के भी सीमाती मैचिंग्स और बानू ज्वैलर्स सहित व्यापारिक प्रतिष्ठान थे, जिनसे वह आय अर्जित कर रही थीं। उपरोक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा, अपीलकर्ता-ए.ताजुदीन का तर्क था कि उनके पास कई अन्य व्यावसायिक परियोजनाएं थीं, जिनसे वह स्वतंत्र आय भी अर्जित कर रहे थे। यहां ऊपर दर्शाई गई उसकी वित्तीय स्थिति के अलावा,

अपीलकर्ता का यह भी मामला था कि उसने हाथ से ऋण लिया था। 25.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उनके आवास से जो राशि बरामद की गई थी, उसमें उपरोक्त सभी स्रोत शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने भारत में रहने वाले एक व्यक्ति से, भारत में निवासी नहीं होने वाले व्यक्ति के कहने पर, उपरोक्त मुद्रा (8,24,900/- रुपये) प्राप्त की थी।

5. अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया की जांच करने के बाद, अतिरिक्त निदेशक, प्रवर्तन, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास, दिनांक 22.4.1991 के एक आदेश द्वारा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ता 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) का उल्लंघन करने का दोषी था। इतना निष्कर्ष निकालने के बाद, जब्त की गई राशि 8,24,900/- रुपये को जब्त करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा, अपीलकर्ता पर 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, मद्रास द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.4.1991 से असंतुष्ट, अपीलकर्ता ने विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड (इसके बाद अपीलीय बोर्ड के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील की। उपरोक्त अपील संख्या 316/1991 को दिनांक 31.12.1993 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। अपील की अनुमति देते हुए, अपीलीय बोर्ड ने अपीलकर्ता पर लगाए गए 1,00,000/- रुपये के जुर्माने को वापस करने का निर्देश दिया। अपीलीय बोर्ड ने अपीलकर्ता के आवास से जब्त किए गए 8,24,900/- रुपये की जब्ती से संबंधित निर्देश को भी रद्द कर दिया।

6. अपीलीय बोर्ड द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, भारत संघ ने प्रवर्तन निदेशक के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष 1973 अधिनियम की धारा 54 के तहत अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.9.2006 के एक आदेश द्वारा उपरोक्त अपील को सीएमए एनपीडी संख्या 1282/1994 के रूप में स्वीकार कर लिया। उपरोक्त अपील की अनुमति देते समय, उच्च न्यायालय ने 20.4.1989 को प्रवर्तन

निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयान पर भरोसा किया। उपरोक्त कथन को अपीलकर्ता द्वारा स्वेच्छा से दिया गया बताया गया। उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि अपीलकर्ता द्वारा 25.10.1989 और 26.10.1989 को दर्ज किए गए बयान उसके द्वारा स्वेच्छा से दिए गए थे, और इस प्रकार, उक्त बयानों को वापस लेना स्वीकार नहीं किया गया था। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय ने 26.10.1989 को मद्रास में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में दिए गए टी. साहिरा बानो के बयान को स्वैच्छिक माना। उनके उक्त बयान को वापस लेने को भी उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा जताया कि अपीलकर्ता को उसकी हिरासत के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास के समक्ष पेश किया गया था, लेकिन उसने अपनी पेशी के दौरान मजिस्ट्रेट को यह संकेत नहीं दिया था कि उसे और उसकी पत्नी को मजबूर किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त बयान देने के लिए। अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा की गई वापसी को खारिज करने में उच्च न्यायालय का यह प्राथमिक कारण था।

7. जहां तक अब्दुल हमीद के नाम और पहचान की सत्यता का सवाल है, उच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि जिस व्यक्ति ने प्रश्न में धन भेजा था उसका नाम और पहचान केवल अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी में थी, और इसलिए, अब्दुल हमीद के नाम और पहचान के बारे में उनके खुलासे पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जहां तक 20.4.1989 और 25.10.1989/26.10.1989 के बयानों में बताए गए अब्दुल हमीद के अलग-अलग पते का सवाल है, उच्च न्यायालय का मानना था कि अपीलकर्ता ने स्वयं उपरोक्त अब्दुल हमीद के पते का खुलासा किया था। और इस प्रकार, उसे अपने लाभ के लिए उक्त कथनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उच्च न्यायालय का यह भी विचार था कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता के

आवास पर छापे के समय बयान दर्ज किए गए थे, और जब वह हिरासत में था, तो यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि वे स्वैच्छिक नहीं थे।

8. सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पहला तर्क यह था कि प्रवर्तन निदेशालय दिनांक 20.4.1989 के कथित बयान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बारे में अपीलकर्ता ने कहा है प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष किया है. जहां तक मामले के तात्कालिक पहलू का सवाल है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का जोरदार तर्क था कि दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन में दिनांक 20.4.1989 के उपरोक्त बयान का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त कथन दिनांक 20.4.1989 की एक प्रति अपीलकर्ता को कभी नहीं दी गई थी। वास्तव में यह अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का जोरदार तर्क था कि ऐसा कोई बयान अपीलकर्ता-ए.ताजुद्दीन द्वारा, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को कभी नहीं दिया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने वास्तव में इस तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 16 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार टिप्पणी की थी: -

> "16..... अधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए कि उनके पास 20.4.1989 को दिए गए बयान का उस समय कोई रिकॉर्ड नहीं था जब ताजुद्दीन ने 26.10.1989 को बयान दिया था..."

यह भी प्रस्तुत किया गया था कि यदि अपीलकर्ता ने 20.4.1989 को ऐसा कोई बयान दिया था, जैसा कि अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भरोसा किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई होती। यह तथ्य कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की

गई, यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता द्वारा 20.4.1989 को ऐसा कोई पूर्व बयान दर्ज नहीं किया गया होगा।

9. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील के हाथों पेश किए गए पहले विवाद पर विचारपूर्वक विचार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन में अपीलकर्ता द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष 20.4.1989 को दिए गए कथित बयान पर कोई भरोसा नहीं किया गया है। इसलिए, उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 12.3.1990 को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के लिए उपरोक्त कथन पर भरोसा करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन पर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर (अनुलग्नक पी-9) से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने 20.4.1989 को किसी भी बयान को निष्पादित करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। इसलिए, प्रवर्तन निदेशालय के लिए ठोस सबूतों के माध्यम से यह स्थापित करना अनिवार्य था कि अपीलकर्ता ने वास्तव में 20.4.1989 को ऐसा बयान दिया था। इसे भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, कि उपरोक्त बयान दिनांक 20.4.1989 के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। उपरोक्त कथन का अवलोकन, जैसा कि मामले की दलीलों से स्पष्ट है, किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है, कि यदि अपीलकर्ता ने ऐसा कोई बयान दिया होता, तो उसके खिलाफ 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) के तहत कार्यवाही की गई होती। केवल तथ्य यह है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी, इसके विपरीत किसी सबूत के अभाव में, प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया यह दावा कि उसने कभी ऐसा बयान नहीं दिया था, अस्वीकृत रहा। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 16 में दर्शाया गया कारण पूर्वगामी पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से एक लचर बहाना है। यद्यपि उपरोक्त बहाना वैध हो सकता है, यदि आरोप यह है कि 20.4.1989 को दिए गए बयान का रिकॉर्ड 25.10.1989 को छापे के समय प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों के

पास उपलब्ध नहीं था, तो अभी तक यह नहीं बताया गया है जब 26.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में दूसरा बयान दिया गया तो उपरोक्त रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, यह काफी समझ से परे है। यह उल्लेख करना उचित है कि दूसरा बयान मुख्य प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तब दर्ज किया गया था जब अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में था। उस समय यदि रिकॉर्ड, जैसा कि आरोप लगाया गया है, अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं था, तो इससे अपरिहार्य निष्कर्ष निकलना चाहिए कि रिकॉर्ड बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था। यहां ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम सबसे पहले यह मानने से संतुष्ट हैं कि दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 20.4.1989 के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, ठोस साक्ष्य के माध्यम से स्थापित होने के अभाव में, कि अपीलकर्ता ने उपरोक्त बयान दिनांक 20.4.1989 को दिया था, प्रवर्तन निदेशालय के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ ज्ञापन दिनांक 12.3.1990 द्वारा लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए उस पर भरोसा करना संभव नहीं था।.

10. अपीलकर्ता के दिनांक 20.4.1989 के बयान के संदर्भ में, यह दर्ज करना भी आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान हमें यह आभास हुआ कि उपरोक्त बयान हमें मामले की सच्चाई की स्पष्ट समझ प्रदान करेगा। 6.6.2014 को सुनवाई समाप्त होने के बाद, हमें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता से मामले का रिकॉर्ड हमें सौंपने की आवश्यकता थी। हमने विद्वान अधिवक्ता को स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि इसका उद्देश्य यह था कि हम अपीलकर्ता के दिनांक 20.4.1989 के कथित बयान और उससे जुड़े रिकॉर्ड की जांच करना चाहते थे। अनुपालन में, तलब किया गया रिकॉर्ड 7.6.2014 को हममें से एक (जे.एस. खेहर, जे.) के आवासीय कार्यालय पर प्रस्तुत किया गया था। रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि इसमें अपीलकर्ता का दिनांक 20.4.1989 का

कथित बयान या उससे जुड़ा रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इसलिए उक्त रिकॉर्ड निम्नलिखित टिप्पणी करके तुरंत (7.6.2014 को) वापस कर दिया गया:

> "श्री ए.बी.रवि, सहायक कानूनी सलाहकार, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, चेन्नई कार्यालय, साथ में श्री बी.नवीन कुमार, सहायक कानूनी सलाहकार, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्यालय नई दिल्ली में, आज 7 जून, 2014 को दोपहर लगभग 1.30 बजे माननीय श्री न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, 6, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली -110011 के आवासीय कार्यालय का दौरा किया। मामले में मूल कागजात वाली एक फ़ाइल वितरित करें - सिविल अपील संख्या 5773/2009 (ए. ताजुद्देन बनाम भारत संघ)। चूँकि फ़ाइल में दिनांक 20.4.1989 (मामले में अपीलकर्ता का बयान) का दस्तावेज़ नहीं है, जिसके लिए उसे तलब किया गया था, माननीय न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, फ़ाइल को वापस किया जा रहा है।
>
> एसडी/-
>
> (दीपक गुगलानी)
>
> कोर्ट मास्टर
>
> 7.6.2014
>
> द्वारा प्राप्त फ़ाइलः
>
> एसडी/-
>
> [श्री ए.बी. रववी]"

यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त टिप्पणियों के बावजूद आगे अभिलेख हमेशा हमारे ध्यान में लाया गया था। यह एक गंभीर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शन है, जिससे हमारे पास यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है कि 20.4.1989 को अपीलार्थी द्वारा दिया गया कथित बयान प्रवर्तन निदेशालय की एक काल्पनिक रचना हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी के कथित कथन दिनांक 20.4.1989 पर भरोसा करना उचित नहीं है।

11. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, अब हम दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए प्रवर्तन निदेशालय के पास उपलब्ध शेष सबूतों की सत्यता की जांच करेंगे। दिनांक 20.4.1989 के बयान को खारिज करने के बाद, अपीलकर्ता-ए.ताजुद्दीन के 25.10.1989 और 26.10.1989 को दर्ज किए गए बयान, साथ ही उनकी पत्नी टी.साहिरा बानो के 26.10.1989 को दर्ज किए गए बयान बचे हैं। उपरोक्त बयानों के अलावा, अपीलकर्ता के खिलाफ शेष सबूत 25.10.1989 को तैयार किए गए "महाज़ार" की प्रकृति में है, जिस पर दो स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् आर.एम.सुब्रमण्यम और हयाद बाशा द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उपरोक्त के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने हिंदू और जनसथा के समाचार पत्रों पर भी भरोसा किया, जिसमें अपीलकर्ता के आवास से बरामद नोटों के बंडल लपेटे गए थे। जहां तक हिंदू अखबारों की बात है, वे 19.2.1989, 14.4.1989, 23.7.1989 और 4.10.1989 के दिल्ली और बॉम्बे संस्करणों के थे। जनसत्ता अखबार की शीट इसके फरवरी, 1989 और 23.10.1989 के दिल्ली और बॉम्बे संस्करणों से भी संबंधित हैं।

12. जहां तक उपरोक्त शेष साक्ष्य का संबंध है, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील का जोरदार तर्क था कि यह अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को स्थापित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कठिन जिम्मेदारी का निर्वहन करने के

लिए पर्याप्त नहीं था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील थी कि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी (25.10.1989 और 26.10.1989 को) द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, यह चेतावनी देने की मांग की गई थी कि यदि आरोपों को स्थापित करने के इस तरीके की पुष्टि की गई, तो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आसानी से व्यक्तियों को जबरदस्ती, धमकी और अनुचित प्रभाव के माध्यम से मजबूर कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कथित तौर पर इस मामले में किया था, और फिर उनके ही बयानों के आधार पर उन्हें दंडित करने के लिए आगे बढ़ें। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी. साहिरा बानो द्वारा दिए गए बयानों की सत्यता स्थापित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के पास पर्याप्त अवसर उपलब्ध थे। इस संबंध में यह बताया गया कि अपीलकर्ता ने कथित तौर पर संकेत दिया है कि धनराशि भेजने वाला अब्दुल हमीद मूल रूप से जिला रामनाथपुरम में उसके गांव पुधुमदम का रहने वाला था। उन्होंने यह भी कहा, कि उक्त अब्दुल हमीद उनके पैतृक पक्ष से संबंधित थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भरोसा किए गए बयानों में, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर यह भी खुलासा किया था कि अब्दुल हमीद ने सिंगापुर से टेलीफोन पर उससे संपर्क किया था। यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्यापन योग्य थे। यह प्रस्तुत किया गया कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अब्दुल हमीद के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की। आगे यह प्रस्तुत किया गया, कि अपीलकर्ता ने दिनांक 20.4.1989 के बयान में उल्लेख किया था, कि अपीलकर्ता ने, सिंगापुर के अब्दुल हमीद के निर्देश पर, 60,000/- रुपये की राशि (कुल राशि 140000/- में से) पुधुमादम में शाहुल हमीद को उसके दुकान के लड़के शाहिब के माध्यम से भेजी। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय शाहिब के माध्यम से उक्त तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि कर सकता था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति गलत पाई

गई, और इसलिए, इसके संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोई और बयान दर्ज नहीं किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया था, कि अपीलकर्ता ने प्रवर्तन के सहायक निदेशक के समक्ष सिंगापुर के राजस्व विभाग से दिनांक 2.9.1990 का एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि नंबर 24, सारंगून रोड, सिंगापुर और जैसा कोई पता नहीं था। इस तरह, अपीलकर्ता द्वारा 25.10.1989 और 26.10.1989 को दिए गए बयानों का मूल आधार ही अर्थहीन हो गया। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि एक वकील ने संपत्ति कर नियंत्रक, सिंगापुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की थी, जिसमें दर्शाया गया था कि सारंगून रोड पर ऐसा कोई पता नहीं था, जहां अब्दुल हमीद पर अपना व्यवसाय चलाने का आरोप लगाया गया था।

13. यह तर्क देने के लिए कि अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी. साहिरा बानो द्वारा दिए गए बयानों पर कानून में भरोसा नहीं किया जा सकता है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने केटीएमएस मोहम्मद बनाम भारत संघ, (1992) 3 एससीसी 178 पर भरोसा रखा और पैरा 34 में की गई टिप्पणियों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया। जिसे नीचे उद्धत किया गया है:

> 34. हमारा मानना है कि इस कानूनी पहलू पर सभी निर्णयों को दोहराना और सुनाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि इस न्यायालय के सभी निर्णयों का मूल इस आशय का है कि संबंधित अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कस्टम अधिकारियों या प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष दिए गए किसी भी बयान की स्वैच्छिक प्रकृति एक अनिवार्य शर्त है। किसी भी उद्देश्य के लिए उस पर कार्रवाई करें और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि कथन किसी प्रलोभन से प्राप्त किया गया है। धमकी, जबरदस्ती या किसी अनुचित माध्यम से उस कथन को संक्षिप्त रूप से एक ही समय पर

अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि कोई बयान वापस ले लिया गया है, इसे अनैच्छिक या गैरकानूनी रूप से प्राप्त के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह केवल बयान देने वाले का काम है जिसने प्रलोभन, धमकी, वादे आदि का आरोप लगाया है कि यह स्थापित किया जाए कि ऐसे अनुचित साधन अपनाए गए हैं। हालाँकि, भले ही बयान का निर्माता प्रलोभन के अपने आरोपों को स्थापित करने में विफल रहता है। बयान दर्ज करने वाले अधिकारी के खिलाफ धमकी आदि। निर्माता के दोषारोपण संबंधी बयान पर कार्रवाई करते समय प्राधिकरण अपने दायित्वों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है, कम से कम व्यक्तिपरक रूप से अपने दिमाग को बाद की वापसी पर यह मानने के लिए लागू करता है कि दोषारोपणात्मक बयान जबरन नहीं लिया गया था। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि प्राधिकारी या किसी न्यायालय को स्वैच्छिक बयान के रूप में दोषारोपण संबंधी बयान पर कार्रवाई करने का इरादा रखते हुए अपना दिमाग वापस लेना चाहिए और उसे लिखित रूप में अस्वीकार करना चाहिए। कानून के इस सिद्धांत पर ही, इस न्यायालय ने कई फैसलों में फैसला सुनाया है कि किसी ऐसे बंदी के दोषी बयान के आधार पर हिरासत आदेश पारित करने में भी, जिसने एफईआरए या सीमा शुल्क अधिनियम आदि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी को बाद में वापसी पर विचार करना चाहिए और दोषारोपण संबंधी बयान को स्वीकार करने से पहले अपनी राय दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा आदेश ख़राब हो जाएगा। रोशन बीवी बनाम टीएन सरकार के संयुक्त सचिव, सार्वजनिक विभाग, [1983] एलडब्ल्यू (सीआरएल) 289 में मद्रास

उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमे हम में से एक (एस. रत्नावेल पांडियन, जे.) एक पक्ष थे।

(जोर हमारा है)

उपरोक्त उद्गत किये गए फैसले में व्यक्त कानूनी स्थिति को पूरक करने के लिए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विनोद सोलंकी बनाम भारत संघ, (2008) 16 एससीसी 537 पर भी भरोसा किया, जिसमें हमारा ध्यान निम्नलिखित निष्कर्ष पर आकर्षित किया गया: -

> "36. किसी अपराध को अंजाम देने के आरोपी व्यक्ति से यह साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है कि अधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रलोभन, धमकी या वादे से उससे स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई थी। अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने का दायित्व है कि स्वीकारोक्ति प्रकृति में स्वैच्छिक है और धमकी आदि के परिणाम के रूप में प्राप्त नहीं की गई है, यदि उस पर केवल दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भरोसा किया जाना है।
>
> 37. बयान की स्वैच्छिक प्रकृति या अन्यथा किसी स्वीकारोक्ति के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने की दृष्टि से, जिसे बाद में वापस ले लिया गया है, अदालत को उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वापसी का समय, उसकी प्रकृति, तरीका शामिल होगा। जिसमें ऐसी वापसी की गई है और अन्य प्रासंगिक कारक। कानून यह नहीं कहता है कि अभियुक्त को यह साबित करना होगा कि उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति धमकी, जबरदस्ती आदि के कारण वापस ली गई थी, लेकिन आवश्यकता यह है कि यह अदालत में इस रूप में प्रकट हो सकता है।

38. वर्तमान मामले में, जांच अधिकारियों ने स्वयं की जांच नहीं की। अधिनियम के तहत प्राधिकारी और ट्रिब्यूनल भी वापसी के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और इसलिए ठोस और वैध कारण बताए जाने पर इसे खारिज कर दिया। जबकि किसी आपराधिक मामले या अर्ध आपराधिक मामले में कार्यवाही के उद्देश्य से इकबालिया बयान को अप्रासंगिक बनाने के लिए केवल स्वीकारोक्ति को वापस लेना ही पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता है कि न्यायालय पेशेवरों को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है और अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति और मुकरना दोनों के विपरीत। यह कहना एक बात है कि वापस ली गई स्वीकारोक्ति का उपयोग अपराध के निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए साक्ष्य के एक पुष्टिकरण टुकड़े के रूप में किया जाता है, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि इस तरह के निष्कर्ष केवल इस तरह की स्वीकारोक्ति के आधार पर निकाले जाते हैं, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया जाता है। अवस्था।

39. कहा जाता है कि अपीलकर्ता को 27.10.1994 को गिरफ्तार किया गया था; उन्हें 28.10.1994 को विद्वान मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। उन्होंने अपना कबूलनामा वापस ले लिया और स्पष्ट रूप से बताया कि जिस तरह से इस तरह की स्वीकारोक्ति प्राप्त की गई थी। उनके अनुसार, उनका किसी भी कथित आयात लेनदेन, बैंक खाते खोलने, या मेसर्स सन एंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी चलाने, निर्यात नियंत्रण, प्रवेश बिल और अन्य दस्तावेजों या कथित प्रेषण से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि स्वीकारोक्ति न केवल असत्य थी बल्कि अनैच्छिक भी थी।

40. इस आरोप का खंडन नहीं किया गया कि उन्हें प्रवर्तन विभाग के कार्यालय में दो दिन और दो रात तक हिरासत में रखा गया था। 28.10.1994 को विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर अपने आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा दिए गए बयानों को खंडित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आगे। ट्रिब्यूनल और अधिकारियों ने भी कानून के मामले में खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया क्योंकि वे खुद से सही सवाल पूछने में असफल रहे। ट्रिब्यूनल इस आधार पर आगे बढ़ा कि कारण बताओ नोटिस जारी करना और सेवाएं केवल कानून की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं क्योंकि इसके कारण कार्यवाही करने वाले को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। ट्रिब्यूनल को अपना निर्णय कानून के सही सिद्धांतों को लागू करने पर आधारित करना चाहिए था।

41. विद्वान मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दिया गया बयान कोई गंजा बयान नहीं था। यह निष्कर्ष कि सबूत का भार कि उसने ये बयान धमकी और दबाव के तहत दिए थे, पूरी तरह से कार्यवाही करने वाले पर था, किसी कानूनी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करता है। अपीलकर्ता के बोझ का निर्वहन करने में विफलता का प्रश्न तभी उठेगा जब बोझ उस पर था। यदि बोझ राजस्व पर था. यह उक्त तथ्य को साबित करने के लिए था। ट्रिब्यूनल अपने सामने रखे गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स की स्वतंत्र जांच के बाद किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि किसी भी धमकी, प्रलोभन या बल से मुक्त होने के कारण स्वीकारोक्ति पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान लागू नहीं हो सकते।

(जोर हमारा है)

14. उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए, भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा पूर्वोक्त दलीलों का खंडन करने की मांग की गई थी।

15. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी. साहिरा बानो द्वारा 25.10.1989 और 26.10.1989 को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए बयानों की सत्यता की जांच करने का प्रयास करेंगे। तथ्यात्मक विवाद पर आगे बढ़ने से पहले, यह दर्ज करना आवश्यक है कि अंतिम विश्लेषण में हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके आधार पर अपीलकर्ता की बेगुनाही या अपराध का निर्धारण अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा (25.10.1989 एवं 26.10.1989 को) प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को दिए गए बयानों के आधार पर करना होगा। इसलिए, मौजूदा मामले के लिए, उपरोक्त बयानों को साक्ष्य के पुष्टिकरण टुकड़े के रूप में नहीं, बल्कि अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, हम बयानों की सत्यता और विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय द्वारा घोषित कानूनी स्थिति को लागू करने का प्रयास करेंगे, जिसे बाद में अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा वापस ले लिया गया। जहां तक उपरोक्त बयानों का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सभी या तो छापे के समय दिए गए थे, जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता के आवास पर या अपीलकर्ता के रहते हुए किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे. 27.10.1989 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मद्रास द्वारा अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किए जाने के तुरंत बाद, उसी दिन, दोनों अपीलकर्ता - ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी. साहिरा बानो ने निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा। नई दिल्ली ने उपरोक्त बयानों से इनकार करते हुए स्पष्ट

रूप से कहा कि वे जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के तहत दर्ज किए गए थे, और उन पर बाध्यकारी नहीं होगा।

16. उपरोक्त मुद्दे पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि दिनांक 25.10.1989 और 26.10.1989 के बयान किसी भी परिस्थिति में अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध की खोज को दर्ज करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकते हैं। यदि विशेष रूप से ऐसे मौखिक बयानों पर भरोसा करके निष्कर्ष लौटाए जा सकते हैं, तो ऐसे बयान आसानी से उन व्यक्तियों पर थोपे जा सकते हैं जिनके खिलाफ 1973 अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में उनके कार्यों के कारण कार्रवाई की जा रही थी। ऐसे बयानों पर आसानी से विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि स्वतंत्र स्रोतों के माध्यम से उक्त बयानों के कुछ भौतिक पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि न हो। आवश्यक पुष्टि की प्रकृति, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी। वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी. साहिरा बानू पहले अवसर पर उन बयानों से मुकर गए, जिन पर अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भरोसा करने की मांग की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया जा सके। अपीलकर्ता अब हम यह जांचने का प्रयास करेंगे कि क्या उपरोक्त कथनों का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र पुष्टिकारक साक्ष्य है।

17. अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के पास उपरोक्त बयान देते समय अपीलकर्ता द्वारा प्रकट किए गए कई महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में सबूत पेश करने का एक प्रभावी अवसर था, फिर भी प्रवर्तन निदेशालय ने स्वतंत्र साक्ष्य के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने कुछ उदाहरणों का हवाला दिया जहां प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा ऐसे सबूत आसानी से एकत्र किए जा सकते थे। किसी भी पुष्टि के अभाव में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी.

साहिरा बानो द्वारा दिए गए वापस लिए गए बयानों का उपयोग अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कर्षों को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

18. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बात को साबित करने के लिए सबूत जुटाए जा सकते हैं कि अब्दुल हमीद, जिस व्यक्ति पर सिंगापुर से पैसे भेजने का आरोप है, वह रामनाथपुरम जिले के पुधुमादम गांव का निवासी था, जहां से अपीलकर्ता भी संबंधित है। यह दिखाने के लिए भी सामग्री जुटाई जा सकती थी कि क्या वह अपीलकर्ता से उसके पैतृक पक्ष से संबंधित था। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय आसानी से पुष्टि कर सकता था कि क्या, जैसा कि अपीलकर्ता ने दावा किया है, उपरोक्त अब्दुल हमीद ने सिंगापुर से टेलीफोन पर उनसे संपर्क किया था, ताकि उन्हें 25.10.1989 को उनके आवास से बरामद राशि की डिलीवरी के बारे में सूचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन निदेशालय यह स्थापित करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व कर सकता था कि उपरोक्त अब्दुल हमीद जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता ने 20.4.1989, 25.10.1989 और 26.10.1989 को बयान दिए थे, वास्तव में सिंगापुर का निवासी था, और वहां अपीलकर्ता द्वारा बताए गए स्थान पर व्यवसाय चला रहा था। इससे भी आगे, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपीलकर्ता ए.ताजुद्दीन के दुकान के लड़के शाहिब से तथ्यात्मक स्थिति की सत्यता का पता लगा सकते थे, जिसे उसने कथित तौर पर गाँव पुधुमदम के शाहुल हमीद (अब्दुल हमीद का एक रिश्तेदार) को 60,000/- रुपये की राशि सौंपने के लिए भेजा था। यदि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बयानों की पुष्टि यहां ऊपर बताई गई प्रकृति के स्वतंत्र साक्ष्य से की गई होती, तो अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन और उनकी पत्नी टी. साहिरा बानो द्वारा अधिकारियों को दिए गए बयानों की सत्यता को स्वीकार करने की गुंजाइश हो सकती थी। प्रवर्तन निदेशालय के. दुर्भाग्य से, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता स्थापित करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हमारा मानना है कि प्रवर्तन

निदेशालय के अधिकारी पुष्टिकारक प्रकृति के स्वतंत्र साक्ष्य जुटाने में गंभीर रूप से लापरवाह थे। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी द्वारा दिए गए वापस लिए गए बयान अपीलकर्ता की दोषीता को निर्धारित करने के लिए विशेष आधार नहीं बन सकते।

19. अब हम अन्य स्वतंत्र सबूतों से निपटेंगे जिन पर अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भरोसा करने की मांग की गई थी। और उसके आधार पर, हम यह निर्धारित करेंगे कि वर्तमान विवाद को हल करने के लिए, एक या दूसरे तरीके से, यह अपने आप में पर्याप्त है, या ऊपर उल्लिखित वापस लिए गए बयानों के संयोजन में पर्याप्त है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, 25.10.1989 को निष्पादित (पुनर्प्राप्ति के समय, अपीलकर्ता के निवास से) "महाज़ार" पर भरोसा किया गया था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलकर्ता ने दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के जवाब में 25.10.1989 को निष्पादित "महाज़ार" की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। केवल इसलिए कि "महाज़ार" को दो स्वतंत्र गवाहों, अर्थात् आर.एम.सुब्रमण्यम और हयाद बाशा द्वारा प्रमाणित किया गया था, इससे इसकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। ऐसी विश्वसनीयता "महाज़ार" से तभी जुड़ेगी जब उक्त दो स्वतंत्र गवाहों को गवाह के रूप में पेश किया जाएगा, और अपीलकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर दिया जाएगा। दुर्भाग्य से इस मामले में उपरोक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। लेकिन फिर, क्या "महाज़ार" की तैयारी और 8,24,900/- रुपये की वसूली का तथ्य अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करेगा, जहां तक कि 1973 अधिनियम की धारा 9(1)(बी) का उल्लंघन का सम्बन्ध है? हमारे विचार में, भले ही "महाज़ार" को वैध और वास्तविक के रूप में स्वीकार किया गया हो, यह स्थापित करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है, कि अपीलकर्ता के निवास से बरामद राशि सिंगापुर के निवासी अब्दुल हमीद द्वारा भेजी गई थी। वह व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा का अधिकृत व्यापारी नहीं है। यहां तक कि, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन

के जवाब में, अपीलकर्ता ने अपने निवास से 8,24,900/- रुपये की वसूली स्वीकार की थी, लेकिन यह स्वीकारोक्ति 1973 की धारा 9(1)(बी) का उल्लंघन स्थापित नहीं करेगी। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि 25.10.1989 को "महाज़ार" का निष्पादन, इस मामले में अपीलकर्ता के अपराध के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है।

20. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भरोसा किया जाने वाला एकमात्र अन्य स्वतंत्र साक्ष्य हिंदू और जनसत्ता अखबारों के पन्ने हैं, जिनमें 25.10.1989 को जब वसूली की गई थी, तब पैसे के बंडल लपेटे गए थे। पूर्वगामी पैराग्राफ में व्यक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि 1973 अधिनियम की धारा 9 (1) (बी) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप, समाचार पत्रों की शीट के आधार पर स्थापित नहीं किया जा सकता है, जिसमें पैसा लपेटा गया था। जिन अखबारों के पन्नों पर भरोसा किया गया, उनसे यह स्थापित नहीं हुआ कि अपीलकर्ता-ए. ताजुद्दीन के आवास से बरामद की गई राशि अब्दुल हमीद द्वारा सिंगापुर से एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से भेजी गई थी, जो अधिकृत डीलर नहीं था।

21. उपरोक्त निर्धारण और यहां दर्ज किए गए विभिन्न निष्कर्षों के आधार पर, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने के योग्य है। तदनुसार उसे अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, दिनांक 12.3.1990 के ज्ञापन के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूरी कार्रवाई को भी खारिज कर दिया गया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, प्रवर्तन निदेशालय को अपीलकर्ता को जब्त की गई 8,24,900/- रुपये की राशि तुरंत वापस करने का निर्देश दिया जाता है, साथ ही अपीलार्थी द्वारा दंड के रूप में जमा की गई 1,00,000/- रुपये की राशि भी वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

22. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों के तहत वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

राजेंद्र प्रसाद

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>-इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****